न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 71/2024
जीसीएमएस नं. :– 2024/103

प्रार्थी :–
मारवाड़ सीमेन्ट लिमिटेड (पूर्व में वेदान्ता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) ऑफिस नम्बर 31, सरस्वती भवन आफ गंजा वाला लेन, चामुण्डा सर्किल, बोरीवली मुम्बई जरिये मैनेजर भीमकचन्द जैन पुत्र बाबुलाल जाति जैन निवासी इमरतिया बेरा, पावटा सी रोड़ जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक :– 28.03.2024

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री मन्सूर अली छीपा प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

"आदेश"

दिनांक : 15.07.2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी कम्पनी का पूर्व नाम वेदान्ता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड था जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया हुआ हैं। उक्त कम्पनी का नाम भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय महाराष्ट्र मुम्बई द्वारा दिनांक 12.03.2014 को वेदान्ता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से परिवर्तित कर मारवाड़ सीमेन्ट लिमिटेड कर दिया गया। नाम परिवर्तन से पूर्व वेदान्ता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ग्राम घोड़ावट पटवार क्षेत्र खवासपुरा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 343/10 रकबा 2.4270 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरवर्तित, खसरा संख्या 343/11 रकबा 2.4270 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरिवर्तित, खसरा संख्या 343/12 रकबा 2.4270 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरिवर्तित, खसरा संख्या 343/32 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरिवर्तित, खसरा संख्या 343/33 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरिवर्तित, खसरा संख्या 343/9 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरिवर्तित, खसरा संख्या 340 रकबा 0.4611 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरिवर्तित, खसरा संख्या 340/1 रकबा 0.4530 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरिवर्तित, खसरा संख्या 341 रकबा 0.5259 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरिवर्तित, खसरा संख्या 340/2 रकबा 0.4611 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 343/6 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 343/2 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरिवर्तित, खसरा संख्या 343/5 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरिवर्तित, खसरा संख्या 343/8 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक संपरिवर्तित आई हुई हैं। जिस पर कम्पनी का एकमात्र मालिक ही हैसियत से कब्जा हैं व कम्पनी अपने उपयोग उपभोग में ले रही हैं। प्रार्थी कम्पनी का नाम पूर्व में वेदान्ता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड था इसलिए इसी नाम से पद संख्या 2 में अंकित सभी भूमियों को खरीद किया गया तथा इसी नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ लेकिन दिनांक 12.03.2014 को कम्पनी का नाम वेदान्ता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से विधिक प्रक्रिया द्वारा

15/7

उपखण्ड अधिकारी

परिवर्तित कर मारवाड़ सीमेन्ट लिमिटेड कर दिया गया इसलिए प्रार्थी कम्पनी पद संख्या 2 में अंकित सभी खसरों में अपना नाम वेदान्ता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के स्थान पर मारवाड़ सीमेन्ट लिमिटेड करवाना चाहती हैं जो विधिसम्मत हैं तथा भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय द्वारा जारी नाम परिवर्तन के पश्चात नया निगमन प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में कम्पनी का सही नाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक हैं। सही नाम इन्द्राज नहीं होने से यानि नाम परिवर्तन होने के पश्चात वर्तमान नाम मारवाड़ सीमेन्ट लिमिटेड इन्द्राज नहीं होने से प्रार्थी कम्पनी को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में व अन्य विभागों में अपनी कार्यवाहीयॉ करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं इसलिए प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र नाम परिवर्तन हेतु यानि वेदान्ता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से मारवाड़ सीमेन्ट लिमिटेड सभी खसरों में किये जाने हेतु/शुद्धि किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उक्त सभी कार्यवाहीयो को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु कम्पनी की ओर से प्रार्थी श्री भीकमचन्द जैन को दिनांक 08.07.2023 को कम्पनी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड की मिटींग में रिजोलुशन पास कर नियुक्त किया हुआ है। जिसका ऑथोराईजेनस पत्र संलंग्न हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पद सं. 2 में अंकित ग्राम घोड़ावट में स्थित खसरा नम्बर 340, 340/1, 340/2, 341, 343/2, 343/5, 343/6, 343/8, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/32, 343/33 में नाम शुद्धि कर वेदान्ता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से मारवाड़ सीमेन्ट लिमिटेड कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो अता फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जो निम्न प्रकार हैं – ग्राम घोडावट मे प्रार्थी कंम्पनी का पुर्व मे नाम वेदान्ता इन्डस्ट्रीज लिमिटेड था। जिसका पजिंकरण प्रमाण पत्र भारत सरकार के कम्पनी रजिस्ट्रार महाराष्ट्र मुम्बई द्वारा दिनांक 17.06.2008 को जारी किया गया था। जिसका कोर्पोरेट पहचान संख्या U26913MH2008PLC183618 थी बाद मे भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्यालय महाराष्ट्र मुम्बई द्वारा दिनांक 12.03.2014 के द्वारा फर्म का नाम वेदान्ता इन्डस्ट्रीज से परिवर्तित कर मारवाड सिमेंट लिमिटेड कर दिया गया। परन्तु कॉर्पोरेट पहचान संख्या U26913MH2008PLC183618 यथावत ही रही। तब से कम्पनी मारवाड सिमेंट लिमिटेड के नाम से आज तक लगातार कार्य कर रही है। हल्का पटवार की रिर्पोट अनुसार वेदान्ता इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से खरीद सुदा सभी भुमि पर मारवाड सिमेंट लिमिटेड का कब्जा है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वेदान्ता इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से खरीदसुदा भुमि ग्राम घोडावट पटवार क्षेत्र खवासपुरा की राजस्व सीमा मे खसरा संख्या 343/10 रकबा 2.4270 ख.सं 343/11 रकबा 2.4270 ख.सं 343/12 रकबा 2.4270 ख.सं 343/32 रकबा 0. 8090 ख.सं 343/33 रकबा 0.8090 ख.सं 343/9 रकबा 0.8090 ख.सं 340 रकबा 0.4611 ख. सं 340/1 रकबा 0.4530 ख.सं 341 रकबा 0.5259 ख.सं 340/2 रकबा 0.4611 ख.सं 343/6 रकबा 0.1618 ख.सं 343/2 रकबा 0.3236 ख.सं 343/5 रकबा 0.4854 ख.सं 343/8 रकबा 0.3236 किरम आद्योगिक संपरिवर्तित नाम से दर्ज सुदा है। (वर्तमान जमाबन्दी नकल सलंग्न है अतः बिन्दुवार जांच रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम घोड़ावट में स्थित खसरानम्बर 340, 340/1, 340/2, 341, 343/2, 343/5, 343/6, 343/8, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/32, 343/33 की भूमियो में नाम शुद्धि कर वेदान्ता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से मारवाड़ सीमेन्ट लिमिटेड कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे तो कोई आपत्ति नही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पेश जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है ग्राम घोड़ावट के खसरानम्बर 340, 340/1, 340/2, 341, 343/2, 343/5, 343/6, 343/8, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/32, 343/33 में दर्ज नाम वेदान्ता इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के स्थान पर मारवाड़ सीमेन्ट लिमिटेड कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु पृथक से तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 15.07.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर